भारत सरकार मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2626 19 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

मछली पालन

2626. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बांध क्षेत्रों में मछली पालन और इसके परिणामस्वरूप राजस्व सृजन की अपार संभावनाएं हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नीति बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार संबंधित राज्य सरकारों और विभिन्न स्टेकहोल्डरों के परामर्श से इस संबंध में एक विशेष नीति बनाने पर विचार करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या सरकार गुजरात राज्य सरकार के परामर्श से गुजरात में बांध क्षेत्रों के लिए इस संबंध में किसी प्रस्ताव पर आगे कार्य करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क) से (ग): 33 लाख हेक्टेयर से अधिक जल फैलाव वाले क्षेत्र में जलाशयों की अपार अप्रयुक्त क्षमता को ध्यान में रखते हुए, इस क्षमता का उपयोग करने के लिए कई पहल और नीतियां लागू की गई हैं। जलाशयों के एकीकृत विकास पर बल देने और मास्यिकी संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से 2015-16 से 2019-20 तक क्रियान्वित नीली क्रांति पर केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत जलाशयों में बड़े पैमाने पर केज कल्टीवेशन और जलाशयों में गुणवत्ता वाले फिंगरलिंग्स के भंडारण के लिए 420.36 करोड़ रुपये के परिव्यय पर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। इसके अलावा, पीपीएमएसवाई के तहत, पिछले तीन वर्षों (2021-2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान, 1597.24 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार ने 44,408 जलाशय केज की स्थापना, 27 जलाशयों के एकीकृत विकास और 4.09 लाख हेक्टेयर जलाशय क्षेत्र में फिंगरलिंग्स के भंडारण के लिए अनुमोदन प्रदान किया है।

जलाशय जल संसाधनों का प्रबंधन और विनियमन संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और कई राज्य सरकारें अपनी स्वयं की जलाशय मत्स्य पालन नीति लागू कर रहे हैं। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय जलाशयों में मत्स्य पालन विकास के लिए राज्यों के प्रयासों में पूरक बनकर सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ): गुजरात सरकार ने रिपोर्ट किया है कि राज्य में 2004 से अंतर्देशीय जलाशय पट्टा नीति-2004 लागू किया गया है। इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के तहत मत्स्यपालन विभाग ने विगत तीन वित्तीय वर्षों (2020-21 से 2022-23) और वर्तमान वित्तीय वर्ष (2023-24) के दौरान गुजरात राज्य में जलाशय मत्स्य पालन के विकास के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है और अनुमोदित गतिविधि में मुख्य रूप से 9707 जलाशय केजों की स्थापना और जलाशय के 10,243 हेक्टेयर क्षेत्र में फिंगरलिंग्स का भंडारण शामिल है, जिसका कुल निवेश 335.86 करोड़ रु/- है।
